न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/152)

1. सीताराम पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा। – अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 03.11.2020 उनवानी अपील सीताराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक –26.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के खसरा नं0 114 रकबा 0.10. है0 एवं खसरा नं0 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार दौसा जिला दौसा दिनांक 29.10.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 03.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दौसा जिला दौसा दिनांक 29.10.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 03.11.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने स्पष्ट बताया था कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और संबंधित बाबू के द्वारा अपीलान्ट से यह कह कर कि पटवारी हल्का के पास पेनेल्टी जमा करवा देना और भेज देने के बाद पीठ पीछे से अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही करके उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने पूर्व बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गयी थी और ना ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था और कानून जब तक पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध नहीं हो तब तक सजा जैसा कठौर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है किन्तु अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध हुए बिना सजा जैसा आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है और ऐसे आदेश की अपील को अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और

अतिरिक्त संभागीय

ना ही पटवारी हल्का से कोई जिरह का मौका दिया और ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श हुआ। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया था पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट की थी किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दंडित करने में कानूनी गलती की है। कानूनन सजा जैसा आदेश पारित करने से पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध होना जरूरी है हर दो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की पूर्व भौतिक बेदखली कतई सिद्ध नहीं थी फिर भी सजा जैसा आदेश बहाल रखने में कानूनी गलती की है, परन्तु अधिनस्थ हर दो न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया तथा निर्णय पारित कर सजा देने में गलती की है। अतः निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। दोनों न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 03.11.2020 की कतई जानकारी नही थी। प्रार्थीगण की अपील के साथ प्रार्थीगण की गॉव की 15 अपीलें और चल रही थी। प्रार्थीगण का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि कब्जा नहीं होने बाबत एक शपथ पत्र पेश करना पडेगा जिसके लिये आपको बुला लिया जावेगा उसके बाद कोरोना के कारण लोकडाउन हो जाने के कारण न्यायिक कार्य स्थगित हो जाने के कारण जनरल तारीख पेशी पडती रही और प्रार्थी तारीख पेशी की जानकारी नहीं कर सका दीपावली के बाद प्रार्थी मजदूरी करने के लिये दौसा से बाहर चला गया जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ सका तथा प्रार्थी के साथ के अन्य लोगों की अपीलों में शपथ पत्र पेश कर देने के कारण अपीलें स्वीकार कर ली गयी और प्रार्थी उपस्थित नहीं हो सकने के कारण प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया जिसकी प्रार्थी को जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 14.03.2021 को प्रार्थी के दौसा आने पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से उक्त अपील के बारे में जानकारी की तो वकील जी ने बताया कि आपकी अपील तो दिनांक 3.11.2020 को खारिज हो गयी है और उसकी नकल लेकर रख रखी है, आपने आकर संपर्क किया ही नहीं तो प्रार्थी ने उक्त आदेश की वकील जी से नकल ली तो सर्वप्रथम प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मयाद अपील आज पेश की जा रही है जो जानकारी से अदर मियाद है व देरी क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। तथा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा की जाने योग्य है। इसलिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र कर अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने व कण्डोन किया जाना आवश्यक है तथा देरी माफ फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 03.11.2020 व तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 29.10.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के खसरा नं0 114 रकबा 0.10. है0 एवं खसरा नं0 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जॉच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पूर्ववती अतिक्रमी भी है। अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत रूप से समुचित अवसर दिया गया। अतिक्रमी का नोटिस बाद तामील शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट सूचना बाद अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की नकल प्राप्त होने की दिनांक 14.03.2021 से जानकारी होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 114 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नं0 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। बेदखली एवं फसल जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न हैं। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने खसरा नं0 114 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नं0 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2074 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर